A 8/1

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी— श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
43 / प्रा.पत्र / 2020	24.08.2020	04.08.2021

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी। —प्रार्थी

—बनाम—

1. श्री लोकेश कुमार राठौर पुत्र श्री रामपाल राठौर, विक्रेता एवं मालिक मैसर्स प्रियंका प्रोविजन स्टोर, शक्ति चौराहा, कापरेन, जिला बून्दी। निवासी—वार्ड न0 11, कापरेन, जिला बून्दी।
2. श्रीमती कोशल्या शर्मा पत्नि श्री ललित कुमार शर्मा, मालिक मैसर्स गिरधर सेल्स एजेन्सी, नृसिंह जी के मन्दिर के पास, कापरेन, जिला बून्दी। निवासी —वार्ड न0 6, जैन मन्दिर की गली, कापरेन, जिला बून्दी।
3. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री लीलाराम, मालिक मैसर्स किरण ऑयल ट्रेडर्स, अग्रसेन बाजार, कोटा। निवासी—सत्यनारायण जी के मन्दिर के पीछे, वार्ड न0 54, रेतवाली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
4. श्री आशीष प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री दयानन्द अग्रवाल, नौमिनी मैसर्स विजय सोल्वेक्स लिमिटेड, ऑल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, इटारना रोड, अलवर, राज0। निवासी—1, शान्तिकुन्ज, वार्ड न0 33, अलवर, राज0।
5. मैसर्स विजय सोल्वेक्स लिमिटेड, ऑल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, इटारना रोड, अलवर, राज0।
6. श्री ताराचन्द अग्रवाल पुत्र स्व0 बच्चुलाल अग्रवाल, नौमिनी मैसर्स दीपक वेजप्रो (प्राई0) लिमिटेड, ऑल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, इटारना रोड, अलवर, राज0। निवासी—1 / 207, एन. ई.बी. विस्तसा (प्रीत विहार), ट्रांसपोर्ट नगर के पास, अलवर—301001, राज0।
7. मैसर्स दीपक वेजप्रो (प्राई0) लिमिटेड, ऑल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, इटारना रोड, अलवर, राज0।

—अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम एवं विनियम 2011

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से—श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्थान पर
श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी
अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से—एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 7 की ओर से—श्री अवनी दीप शर्मा अधिकृत प्रतिनिधि

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

A8/2

—: निर्णय :—

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना—पत्र में निम्नाकित बिन्दु अंकित किये हैः—

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 एवं क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2019 को समय 1:00 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु कापरेन स्थित, फर्म प्रियंका प्रोविजन स्टोर पर पहुंचे। वहां पर श्री लोकेश कुमार राठौर पुत्र श्री रामपाल राठौर, विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।
3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ एडिबल ब्लेण्डेड वेजिटेब्ल ऑयल, ब्राण्ड—हनुमान, प्ला0 बोटल पैकिंग प्रत्येक 1 लीटर के 12 नग में उपलब्ध था। उक्त खाद्य पदार्थ एडिबल ब्लेण्डेड वेजिटेब्ल ऑयल, ब्राण्ड—हनुमान में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, प्ला0 बोटल पैकिंग सहित ही 4 नग (प्रत्येक 1 ली0) वास्ते नमूना जांच खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 360/— नगद देकर रसीद प्राप्त की।
4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ एडिबल ब्लेण्डेड वेजिटेब्ल ऑयल, ब्राण्ड—हनुमान के 4 नगों को प्ला0 बोटल पैकिंग सहित ही चार बराबर भागों में (प्रत्येक भाग में एक) विभाजित किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू—1393 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी डॉ0 गोकुल लाल मीणा द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू—1393 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार—चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों

A 8/3

...भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।

5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र कमांक एफएसएसए / 2019 / 336–337 दिनांक 12.12.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 611 / एफएसएसए / कोटा / एक्ट / 2019 / 643 दिनांक 29.11.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया एडिबल ब्लेण्डेड वेजिटेब्ल ऑयल, ब्राण्ड–हनुमान, मिसब्राण्डेड (Misbranded) पाया गया।

7. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही के तहत खाद्य पदार्थ एडिबल ब्लेण्डेड वेजिटेब्ल ऑयल, ब्राण्ड–हनुमान, मैसर्स प्रियंका प्रोविजन स्टोर, शक्ति चौराहा, कापरेन द्वारा मैसर्स गिरधर सेल्स एजेन्सी, नृसिंह जी के मन्दिर के पास, कापरेन, से बिल संख्या 14343 दिनांक 14.10.2019 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। मैसर्स गिरधर सेल्स एजेन्सी, नृसिंह जी के मन्दिर के पास, कापरेन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म की मालिक श्रीमती कोशल्या शर्मा पत्नि श्री ललित कुमार शर्मा, निवासी–वार्ड न0 6, जैन मन्दिर की गली, कापरेन जिला बून्दी हैं। अतः इस प्रकरण में श्रीमती कोशल्या शर्मा, मालिक मैसर्स गिरधर सेल्स एजेन्सी कापरेन को भी पक्षकार बनाया गया हैं। मैसर्स गिरधर सेल्स एजेन्सी कापरेन द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ एडिबल ब्लेण्डेड वेजिटेब्ल ऑयल, ब्राण्ड–हनुमान, मैसर्स किरण ऑयल ट्रेडर्स, अग्रसेन बाजार, कोटा से बिल संख्या 1887 दिनांक 10.10.2019 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्रस्तुत की हैं। मैसर्स किरण ऑयल ट्रेडर्स, अग्रसने बाजार, कोटा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म के मालिक श्री राजेश कुमार पुत्र श्री लीलाराम, निवासी–सत्यनारायण जी के मन्दिर के पीछे, वार्ड न0 54, रेतवाली, तहसील लाडपुरा, कोटा हैं। अतः इस प्रकरण में श्री राजेश कुमार, मालिक मैसर्स किरण ऑयल ट्रेडर्स, अग्रसेन बाजार, कोटा को भी पक्षकार बनाया गया हैं। किरण ऑयल ट्रेडर्स, अग्रसेन बाजार, कोटा द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ एडिबल ब्लेण्डेड वेजिटेब्ल ऑयल, ब्राण्ड–हनुमान, मैसर्स विजय सोल्वेक्स लिमिटेड, ऑल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, इटारना रोड, अलवर, राज0 से बिल संख्या वीएसएल19–20जीटी / 10395 दिनांक 06.10.2019 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्रस्तुत की हैं। मैसर्स विजय सोल्वेक्स लिमिटेड, ऑल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, इटारना रोड, अलवर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म के नौमिनी आशीष प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री दयानन्द अग्रवाल,

A84

निवासी–1, शान्तिकुन्ज, वार्ड न0 33, अलवर हैं। इस प्रकरण में आशीष प्रसाद अग्रवाल एवं फर्म विजय सोल्वेक्स लिमिटेड, अलवर को भी पक्षकार बनाया गया हैं। मैसर्स विजय सोल्वेक्स लिमिटेड, अलवर उक्त खाद्य पदार्थ एडिबल ब्लेण्डेड वेजिटेब्ल ऑयल, ब्राण्ड–हनुमान, मैसर्स दीपक वेजप्रो (प्राई0) लिमिटेड, ऑल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, इटारना रोड, अलवर से बिल संख्या डीवीपी 19–20जीटी / 06545 दिनांक 06.10.2019 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्रस्तुत की हैं। मैसर्स दीपक वेजप्रो (प्राई0) लिमिटेड, ऑल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, इटारना रोड, अलवर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म के नौमिनी श्री ताराचन्द अग्रवाल पुत्र स्व0 बच्चुलाल अग्रवाल, निवासी–1 / 207, एन.ई.बी. विस्तार (प्रीत विहार), ट्रांसपोर्ट नगर के पास, अलवर–301001 (राज0) हैं। अतः इस प्रकरण में श्री ताराचन्द अग्रवाल एवं फर्म मैसर्स दीपक वेजप्रो (प्राई0) लिमिटेड, ऑल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, इटारना रोड, अलवर को अन्तिम पक्षकार बनाया गया हैं। उक्त फर्म ही खाद्य पदार्थ एडिबल ब्लेण्डेड वेजिटेब्ल ऑयल, ब्राण्ड–हनुमान की विनिर्माता फर्म हैं।

8. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिए अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीममान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2020 / 144 दिनाकं 24.08.2020 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ एडिबल ब्लेण्डेड वेजिटेब्ल ऑयल, ब्राण्ड–हनुमान, का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 आज उपस्थित नहीं जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गइ। अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 7 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जो जांच रिपोर्ट संख्या 611 एफ.एस.एस.एल. / कोटा / एक्ट / 2019 / 643 दिनांक 29.11.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया एडिबल ब्लेण्डेड वेजिटेब्ल ऑयल, ब्राण्ड–हनुमान, मिसब्राण्ड पाया गया हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार sample description में वर्णित किया हैं कि "PHOTO OF MUSTARD PLANT (GREEN WITH YELLOW FLOWER) ON THE LABEL, Which is misleading as the oil is blend Contravention to Regulation No. 2.3.1(5) food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011." कथित आरोपा बयानात किया गया हैं जो अस्वीकार हैं क्योंकि जा उपरोक्त वजह बताकर sample को मिसब्राण्ड बताया जाकर FSSA 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(1)(a)(c)(i) का उल्लंघन होने का कथन किया हैं जबकि तथ्य यह हैं कि हनुमान ब्राण्ड एडिबल ब्लेण्डेड वेजिटेब्ल ऑयल के लेबल पर सरसों के पौधों पर पीले फूल की फोटो न तो सिद्ध करता हैं और न ही इससे प्रतीत होता हैं कि खाद्य पदार्थ को सरसों का तेल ही मान लिया जाये जबकि खाद्य पदार्थ नमूने के लेबल पर पदार्थ के संबंध में पूर्ण जानकारी दी हुई हैं। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार नमूने में कोई बाहरी पदार्थ की मिलावट नहीं हैं इसीलिए उक्त नमूना मिसब्राण्ड की श्रेणी में नहीं आता हैं। यह कि उक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये अप्रार्थीगणों के विरूद्ध नरम रूख अपनाते हुये लोक अदालत की भावना से निर्णय करने की कृपा करें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाअत की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता न्यायालय में उपस्थित जिन्होंने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण अपने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ एडिबल ब्लेण्डेड वेजिटेब्ल ऑयल, ब्राण्ड–हनुमान का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 7 द्वारा बवक्त दोराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार नमूने में कोई बाहरी पदार्थ की मिलावट नहीं हैं इसीलिए उक्त नमूना मिसब्राण्ड की श्रेणी में नहीं आता हैं। यह कि उक्त परिस्थितियों को मद्‌देनजर रखते हुये अप्रार्थीगणों के विरूद्ध सहानुभूति का रूख अपनाते हुए लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निर्णय करने की कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण पर मनन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना एडिबल ब्लेण्डेड वेजिटेब्ल ऑयल, ब्राण्ड–हनुमान खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान पर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ एडिबल ब्लेण्डेड वेजिटेब्ल ऑयल, ब्राण्ड–हनुमान का खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थीगण दोषी है। अतः अप्रार्थीगण का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 को 2,000/– (अक्षरे–दो हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 2 को 2,000/– (अक्षरे–दो हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 3 को 3,000/– (अक्षरे–तीन हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 4 को 3,000/– (अक्षरे–तीन हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 5 को 5,000/– (अक्षरे–पांच हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 6 को 5,000/– (अक्षरे–पांच हजार रूपये) एवं अप्रार्थी संख्या 7 को 5,000/– (अक्षरे–पांच हजार रूपये) कुल राशि 25,000/– (अक्षरे–पच्चीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)